न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 33/2019

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्री नैनाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति रावल ब्राह्मण निवासी नई जमीन तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री चन्दन सिंह डाबी अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 11.06.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 142/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2019 के विरूद्ध दिनांक 17.05.2019 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह डाबी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा ग्राम धनारी पटवार हल्का धनारी तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 51 रकबा 3.00 बीघा किस्म बांध पेटा पर अपीलार्थी को पश्चातवृति अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 450/– का जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये । जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेना

अपीलान्ट को जिरह करने का कोई अवसर नही दिया गया है ना ही अपीलांट को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है । अपीलांट द्वारा न तो कोई अतिक्रमण किया गया है या विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है ।

प्रथम पेशी पर ही उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । इस संबंध मे उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1474, आर.आर.डी. 1993 पेज 465, एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के उपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुॅ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बंजर दर्ज है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2075 खरीफ मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमे पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया है । विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ । तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पश्चात्वृति अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये है मानने योग्य प्रतीत नही

पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 04.04.2019 को किये जाने पाये जाते है । तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा पटवारी के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी किये गये है पटवारी द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण हटाने बाबत् कथन अपने रिपोर्ट मे किया गया है । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जुर्माना राशि रूपये 450/– पटवारी हल्का को जमा करा दिये गये है ।

अपीलांट गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रूख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह मे रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु–2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पेरा संख्या 7 मे भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है । आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पारित निर्णय मे जुर्माना एवं बेदखली का आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलांट का अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा स्थगन की जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट अतिक्रमित भूमि पर 60 दिन के भीतर भीतर अपना कब्जा हटा कर अधीनस्थ न्यायालय में यह शपथ पत्र/अण्डरटेंकिग दे देता है, कि उक्त बिलानाम सरकारी भूमि पर वह भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नही करेगा तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे दी गई सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय की पालना कराएगें।

आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर, सिरोही